



उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

G 477452

प्रारूप - 26

(नियम 4क देखिए)

21- नैनेटोमेहट निवाचन क्षेत्र से विधान सभा (सदन का नाम) के लिये निर्वाचन के लिये रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ-पत्र।

मैं वीर सिंह रावत पुत्र श्री दौलत सिंह आयु 36 वर्ष जो लोअर नेहरू ग्राम पो.आ. - आर्ड.आर्ड.पी. मोहापुर देहरादून का निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन में अभ्यर्थी हूँ, मृत्युनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ / शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ / करती हूँ -

1. मैं ऐसे किसी लम्बित मामलें में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दण्डनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए है।

(यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी):

मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएँ _____

पुलिस थाना (थाने) _____ जिला या जिले _____ राज्य _____

संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा(धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है _____

(iv) न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों)की दिरचना की गई _____

Beawat




- (v) तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किया गया था / किए गए थे ~~—~~
- (vi) क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है / हैं
—

2. मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अन्तर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्ध दोष ठहराया गया है / नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास से दंडादिष्ट किया गया है / नहीं किया गया है। (यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्ध दोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा):

- (i) मामला / प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या / संख्याएँ —
- (ii) न्यायालय, जिसने दण्डित किया है —
- (iii) पुलिस थाना (थाने) — जिला (जिले) — राज्य —
- (iv) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा(धाराएं) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी कभी आरोपित किया गया है
—
- (v) तारीख (तारीखें) जिनको दंडादेश सुनाया गया था / सुनाए गए थे —
- (vi) क्या दंडादेश सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोका गया है / रोके गए हैं —

स्थान: देहरादून

तारीख: 12/01/2012


अभिसाक्षी के हस्ताक्षर


सत्यापन

मैं, ऊपर नामित अभिसाक्षी, यह सत्यापित और घोषित करता / करती हूँ कि इस शपथ पत्र की अन्तर्वस्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है और कोई तात्त्विक बात छिपायी नहीं गई है।

देहरादून स्थान पर आज दिनांक 9/1/2012 को सत्यापित किया।



This affidavit is sworn before me by
Shri. B. S. Rawat
who is identified by Shri. —————
at Dehradun on 9/1/2012
Smt. Vijaya Luxmi
Advocate & Notary, Dehradun


अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

